वित्त निर्देश 36/2003

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 772/ब-1/चार/2003 रायपुर, दिनाँक 28 जुलाई, 2003.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- **शासन के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के संबंध में ।**

संदर्भ:- 1. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग का ज्ञापन क्रमांक 742/2003/ब-1/चार दिनाँक 21.07.2003.
2. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग का ज्ञापन क्रमांक 749/ब-1/चार/2003 दिनाँक 22.07.2003

राज्य शासन के संदर्भित पत्रों के द्वारा सीधी भरती के रिक्त पदों को भरने के संबंध में लगे प्रतिबंध को शिथिल किया है तथा वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक सप्ताह के भीतर विभिन्न विभागों से मांगी गई थी ।

2/- परंतु शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कुछ विभागों द्वारा सामान्य श्रेणी के अंतर्गत सीधी भरती के रिक्त पदों को भरने के विज्ञापन जारी किये जा रहे हैं, जिसके लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है । जबकि संदर्भित पत्रों में एक सप्ताह के भीतर जानकारी उपलब्ध कराते हुए रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजने के निर्देश थे ।

3/- बिना शासन के एवं वित्त विभाग के अनुमति के रिक्त पदों को भरना अत्यंत आपत्तिजनक है तथा उन अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित की जावे कि कैसे बिना स्वीकृति प्राप्त किये इन पदों के विज्ञापन जारी किये गये है ? यदि विभाग पदों को भरना आवश्यक समझता है तो वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश 33/2003 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार जानकारी वित्त विभाग को भेजकर पृथक से अनुमति प्राप्त करें,

तत्पश्चात् ही भरने की कार्यवाही करें । इन निर्देशों के उल्लंघन करते हुए भरती करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध शासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

पृ.क्र. 773/ब-1/चार/2003 रायपुर, दिनाँक 28 जुलाई, 2003.

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, छग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर ।
14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
19. नियंत्रक, शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.एस. विश्वकर्मा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग